न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/63 **दायरा दिनांक : 23.05.2022**

उनवान

हेमराज पुत्र स्व० रामलाल, जाति कोली, आयु 47 वर्ष, निवासी अन्ता, हाल निवास मकान नं. 94 प्रताप नगर थर्ड बोरखेडा, कोटा राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. द्वारिका देवी पुत्री स्व0 रामलाल पत्नि प्रेम चन्द महावर, जाति कोली, निवासी अन्ता, हाल आदित्य नगर बोरखेडा कोटा
2. मन्जू पुत्री स्व० रामलाल पत्नि पप्पू लाल जाति कोली निवासनी केशवपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. कलावती पुत्री स्व० रामलाल पत्नि घनश्याम, जाति कोली, निवासनी गांवडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4. चेतन पुत्र राम लाल, जाति कोली, निवासी अन्ता हाल मकान नं० 94 प्रताप नगर तृतीय, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बांरा

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री मुकुट बिहारी पारेता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री मेघराज सिंह शक्तावत अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 4 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 15.01.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 16/2015 निर्णय दिनांक 29.10.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके माल ग्राम अन्ता तहसील अन्ता में खाता सं0 325 मे खसरा नं0 402 रकबा 1.05 हेक्टर, खसरा नं0 443 रकबा 0.35 हेक्टर किता 2 रकबा 1.40 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजी जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपने निर्णय दिनांक 29.10.2015 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नं० 1 प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न होते हुये भी सरसरी तौर पर बिना अपीलांट की तलबी कराये हुये स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा सभी रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध जारी कर दी है, जो कि कानून के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने के काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने का इस तथ्य पर गौर नही फरमाया कि अपीलांट, अप्रार्थी नं० 2 की उक्त प्रकरण में तामील होना शेष था, उसके पश्चात ही धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट अप्रार्थी नं. 2 को सुनवाई व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के उपरान्त पक्षकारान को सुनने के उपरान्त ही कोई आदेश न्यायोचित रूप से पारित किया जा सकता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण अप्रार्थी नं० 2 अपीलांट की तलबी में होते हुये, तथा दावे व प्रार्थना पत्र दोनों में उसकी तामील न होते हुये भी उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आदेश जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है, जो कि विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सम्पूर्ण दावे को ही स्वीकार कर लिया है, जबकि रेस्पोडेंट नं० 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में खाता संख्या 325 की खसरा नम्बर 402 रकबा 1.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.35 हेक्टर कुल 2 किता रकबा 1.40 हेक्टर आराजी वाके ग्राम अन्ता, पटवार हल्का अन्ता तह० अन्ता जिला बांरा तत्कालीन खातेदार रामलाल पुत्र गेन्दया जाति कोली, जो पुश्तेनी सम्पत्ति है के सम्बन्ध में पेश किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 के प्रार्थना पत्र के आदेश में रेस्पोडेंट नं० 1 का मनमाने तौर पर हिस्सा 1/24 मानते हुये आदेश पारित कर दिया है, जिसके बाबत कोई साक्ष्य या दस्तावेज रिकार्ड पर मौजूद ही नहीं था, इसलिये आदेश जैर अपील वास्तविक तथ्यों व दस्तावेजात से परे होने से भी काबिल निरस्तनीय है। वैसे भी कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है, कि प्रकरण के पक्षकारान को तामील के उपरान्त पूर्ण सुनवाई व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही कोई आदेश पारित किया जाना चाहिये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दावे व धारा 212 के प्रार्थना पत्र में अपीलांट की कोई तामील नहीं होते हुए भी जो आदेश पारित किया है, वह अपीलांट के हितों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम तथ्य पर भी विचार नही किया कि उक्त 212 के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वाद मात्र घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का है, और बंटवारे का कोई वाद प्रस्तुत ही नही हुआ है, तो फिर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में अप्रार्थी नं० 1 का हिस्सा 1/24 किस प्रकार से अंकित कर दिया, इसका कोई स्पष्टीकरण आदेश में नही दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आदेश जैर अपील बिना दस्तावेज व प्रार्थना पत्र व वाद के तथ्यों का अवलोकन किये हुये पारित किया गया है, जो कि आदेश 20 नियम 5 सी०पी०सी० के तहत आदेश की तारीफ में नही आता है, और काबिल निरस्तनीय है। अत : अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जाये, तथा अपीलांट को तामील कराकर पूर्ण सुनवाई का अक्सर देते हुये न्यायोचित निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाये।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.05.2022

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं. 1 ने धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है। अपीलांट हेमराज की तलबी अधीनस्थ न्यायालय में नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2015 को प्रार्थना पत्र धारा 212 का स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया और ना ही हमें तलबी करवायी गयी। अस्थायी निषेधाज्ञा में 1/24 हिस्सा कैसे निर्णित किया गया जबकि 1/6 हिस्सा मांग रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय ने 1/24 हिस्सा कैसे माना। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सम्मन के नोटिस सलंग्न नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 4 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट उपस्थित क्यों नहीं हुए जबकि सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति नहीं है। विवादित आराजी में अपीलांट का हिस्सा नहीं बनता। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है, अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट अप्रार्थी नं. 2 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2015 की अप्रसन्नता से अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता, जिला बारां के यहां अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट के विरूद्ध धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा मय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र सहित पेश किया था, जिसमें प्रतिवादी नं. 1 रामलाल की दिनांक 14.10.2019 को तथा उसकी पत्नी डालीबाई की मृत्यु दिनांक 30.08.2021 को हो चुकी है और जिसके कायम मुकामान पूर्व से ही रेस्पोडेंट्स के रूप में रिकॉर्ड पर मौजूद है। जो दावा वर्तमान में विचाराधीन है तथा जिसमें आगामी पेशी दिनांक 06.06.2022 वास्ते तलबी अपीलांट हेतु नियत है तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र में बिना कोई तलबी कराये हुए तथा बिना सुनवाई व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये प्रार्थिया रेस्पोडेंट नं. 1 के हिस्से पर रहन विक्रय आदि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 07.10.2015 के अनुसार अप्रार्थी नं. 1, 3 ता 5 की ओर से श्री आर.सी भावरा वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल फाईल किया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी क्रम 1, 3 ता 5 व 2 की तलबी में दिनांक 26.10.2015 पेश हो अंकित है तत्पश्चात दिनांक 26.10.2015 की आदेशिका पर अंकित सील के अनुसार पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में दिनांक 29.10.2015 नियत की गई। पत्रावली की आदेशिका में अपीलांट अप्रार्थी क्रम 2 की तलबी के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं किया गया, पत्रावली में सम्मन की प्रति भी सलंग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यही स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.10.2015 के पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.10.2015 को अपीलांट अप्रार्थी क्रम 2 की सम्मन तामील सुनिश्चित किये बिना ही अप्रार्थी क्रम 1 व 3 ता 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थिया रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी में प्रार्थिया रेस्पोडेंट क्रम 1 का 1/24 हिस्सा मानते हुए प्रार्थिया के हिस्से की आराजी पर ताफैसला अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबन्द कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी करने से पूर्व आदेश 5 सी.पी.सी. में पक्षकारों की सम्मन तामील संबंधी दिये गये वैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण अपीलांट अप्रार्थी क्रम 2 को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2015 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को विधि सम्मत रूप से सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बाद सुनवाई पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/01/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा